न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 121/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री अशोक मण्डल पुत्र श्री अर्जुन मण्डल निवासी बडोदिया कच्ची बस्ती, रेल्वे स्टेशन जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 23.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.02.2020 को मय जांच दल के घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु कसाई की दुकान के सामने, रेल्वे स्टेशन, जयपुर पर थडी ठेलों पर पंहुच कर जांच की गई। मौके पर श्री अशोक मण्डल द्वारा ठेले पर घरेलू गैस सिलेण्डर को चूल्हे से जोडकर सब्जी पूडी तैयार की जा रही थी। अशोक मण्डल ने स्वयं को ठेले पर कार्य करना व ठेले का मालिक अन्य व्यक्ति होना बताया। मौके पर अप्रार्थी ने सिलेण्डर के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 1 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 12.400 किग्रा. जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस अदम तामील जी.आर.पी. थाने से इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ था कि अशोक मण्डल नाम की कोई जानकारी मौके पर प्राप्त नहीं हुई अशोक मण्डल के पिता का नाम अर्जुन मण्डल बताने पर अर्जुन के पुत्र चन्दन सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट जयपुर पर पूडी का ठेला लगाता है ऐसा अंकित किया है। कलेक्ट्रेट चन्दन सिंह से सम्पर्क करने पर उसने बताया कि मेरे पिता मण्डल नहीं लगाते है। इस कारण नोटिस लेने से मना किया। इस प्रकार वास्तविक अभियुक्त को नोटिस तामील नहीं हो सका। मोबाईल पर सम्पर्क करने पर नम्बर बन्द आ रहा है। मौके पर कार्यवाही के दौरान अशोक मण्डल स्वयं उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर अंकित है। ऐसे में प्रकरण की जानकारी अभियुक्त आरोपी को होते हुए भी उपस्थित नहीं होने व जब्त माल के संबंध में कोई दावा पेश नहीं करना इकतरफा कार्यवाही के लिए पर्याप्त कारण है। पत्रावली 2020 से लम्बित है ऐसे में पत्रावली को लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझते। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18.02.2020 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का पूडी के ठेले पर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी के सही पते की जानकारी ना होने से नोटिस तामील नहीं हो सके हैं। परन्तु मौके पर कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये थे। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण की जानकारी अप्रार्थी को होते हुए भी वह अपना पक्ष रखने एवं जब्त माल का दावा पेश करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) को चूल्हे से जोडकर पूडी बनाने के कार्य में उपयोग करते हुए पाया गया। जिससे घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग पुष्ट होता है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 1 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 12.400 किग्रा. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते है कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR